नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 353.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, आशुलिपिक ग्रेड -1 समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2012, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, आशुलिपिक ग्रेड -1 समूह 'ख' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, आशुलिपिक ग्रेड -1 समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं" ;

3. उक्त नियमों की अनुसूची के स्तंभ (4) में, -

(क) स्तंभ (4) के, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टि रखीं जाएंगी, अर्थात्:—

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-रुपए)**";**

(ख) स्तंभ (11) के,-

(i) "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन "टिप्पण 3" का लोप किया जाएगा;

(ii) "प्रतिनियक्ति/ आमेलन" शीर्षक के अधीन,-

(क) मद के "वेतन बैंड - 1 (रुपये 5200-20200)+ग्रेड वेतन 2400/- रुपये" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (25500-81100 रुपये)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएँगे;

(ख) "टिप्पण 4" का लोप किया जाएगा।

(ग) स्तंभ (12) में, क्रम संख्या 2 के सामने, "संयुक्त निदेशक" शब्द के स्थान पर वैज्ञानिक "ई" शब्द रखा जायगा।

[फा. सं. ए-12018/48/2017-ई.II]

आर. एन. दीक्षित, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 18.02.2012 को अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 42, तारीख 06.02.2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 24th October, 2017

G.S.R. 353.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Stenographer Grade- I, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2012, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Stenographer Grade- I, Group 'B' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Stenographer Grade- I, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:—

"2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.".

3. In the Schedule to the said rules,-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely: -

"Level in pay matrix
(4)
Level -6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.";

(b) in column (11),-

(i) under the heading "Promotion", "Note 3" shall be omitted;

(ii) Under the heading "Deputation/absorption",-

(A) for the words, figures and letters "Pay Band -1 Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2400", the words, figures, brackets and letters "level –4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix" shall be substituted;

(B) "Note 4" shall be omitted;

(c) in column (12), against serial number 2, for the words "Joint Director", the word Scientist "E" shall be substituted.

[F. No. A-12018/48/2017-E-II]

R. N. DIXIT, Under Secy.

Note. : The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 42, dated the 6th February, 2012 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 18th February, 2012.

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 354.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, नर्स (अर्हित) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2013, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, नर्स (अर्हित) समूह 'ख' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।